दैनिक भास्कर 26-5-26

भास्कर एक्सक्लूसिव आरटीआई से मिली पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टेटस रिपोर्ट में हुआ खुलासा...

87% कॉलेजों ने टीचर्स को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया; न ग्रेच्युटी-न लीव एनकैशमेंट

आरती एम.अग्निहोत्री | चंडीगढ़

पीयू से एफिलिएटेड प्राइवेट एडिड और सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेजों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरटीआई से प्राप्त स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2022 में नोटिफिकेशन जारी होने के 3 साल बाद भी 138 में से 120 कॉलेजों (87%) ने टीचर्स को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स से रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के नाम पर हर साल करोड़ों वसूल रहे हैं, लेकिन टीचर्स को ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट नहीं दे रहे। अब एयूसीटी ने 17 मई को वीसी को रिप्रेजेंटेशन भेज कार्रवाई की मांग की है।

छात्रों से मोटी वसूली, पर खातों का अता-पता नहीं

- पंजाब के कॉलेज (सेशन 2023-24): ग्रेजुएट (बीए, बीकॉम, बीएससी) के हर स्टूडेंट से सालाना 2,412 रु वसूले गए।
- चंडीगढ़ के कॉलेज (सेशन 2024-25): हर स्टूडेंट से सालाना 2,774 रु वसूली की जा रही है।

नियम: फंड को अलग बैंक खाते में रखकर पीयू को हिसाब देना अनिवार्य है। पर अधिकांश कॉलेजों ने अलग खाते नहीं बनाए।

चंडीगढ़ के प्रमुख कॉलेजों का स्टेटस

कॉलेज का नाम	7वां वेतन आयोग	रिटायरमेंट बेनिफिट स्थिति
जीजीडीएसडी, से.-32 (प्राइवेट एडिड)	लागू	एलआईसी के साथ योगदान दिया जा रहा है।
एमसीएमडीएवी, से. 36 (प्राइवेट एडिड):	लागू	एमल्गामेटेड फंड का उपयोग। पीयू ने 22.12.2025 तक 2 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगा।
डीएवी कॉलेज, से.-10 प्राइवेट एडिड):	लागू	7 टीचर रिटायर हुए, 2 का भुगतान कोर्ट केस के कारण लंबित।
देव समाज, से.-36 (प्राइवेट एडिड):	एडिड को लागू, एसएफ को नहीं।	ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है।
एसजीजीएस, से.-26 (प्राइवेट एडिड):	एडिड को लागू, एसएफ को नहीं।	एसएफ स्टाफ के वेतन पर 17.12.2025 को वीसी के साथ विशेष बैठक हुई।

चंडीगढ़ बनाम पंजाब:

लुधियाना का हाल सबसे खराब

लुधियाना: यहां के 43 कॉलेजों ने रिकॉर्ड जमा कराया, जिसमें से 38 कॉलेज (88%) नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

पूरे पीयू का रिपोर्ट कार्ड: कुल 210 एफिलिएटेड कॉलेजों में से केवल 138 ने जानकारी दी। इनमें से मात्र 18 कॉलेज ही नियमों का पालन करते पाए गए।

अनुपालन वाले 18 कॉलेज: इनमें 4 चंडीगढ़ से, 3 फाजिल्का से, 2-2 मुक्तसर व होशियारपुर से, और 1-1 मोगा व फिरोजपुर से हैं।

इतना आ रहा है फर्क
(डीए, एचआरए, मेडिकल व पीएफ सहित)

असिस्टेंट प्रोफेसर: छठा पे-कमिशन: 55-60 हजार
7वां पे-कमिशन: 95 हजार-1 लाख रुपए
फर्क: 35 से 40 हजार रुपए का घाटा।

एसोसिएट प्रोफेसर: छठा पे-कमिशन: 75-80 हजार
7वां पे-कमिशन: 1.35 लाख-1.40 लाख रुपए।
फर्क: 75 से 80 हजार रुपए का घाटा।

210 में से सिर्फ 138 कॉलेजों ने जानकारी दी। 5 मई की रिपोर्ट नियमों का घोर उल्लंघन (फ्लैग्रेंट ट्रांसग्रेशन) है। वीसी ने 31 जनवरी 2026 तक कार्रवाई का वादा किया था, पर 90 दिन बाद भी प्रशासन निष्क्रिय है। सारा दोष वीसी और डीसीडीसी ऑफिस का है। हमने चांसलर को लिखा है।
- प्रो. जसपाल सिंह, (महासचिव, एयूसीटी)

मैनेजमेंट टीचर्स का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। 2010 से छात्रों से लाखों वसूले गए, पर टीचर्स को 20 लाख की ग्रेच्युटी तक नहीं मिल रही। दावा करने वाले 18 कॉलेजों में भी पूर्ण डीए (42%), पीएफ और 2022 से बकाया एरियर्स नहीं दिया जा रहा। हम जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे।
-प्रो. तरुण घई, (अध्यक्ष, एयूसीटी)

ज्यादातर ग्रांट-इन-एड कॉलेज अपनी पोस्ट्स पर 7वां पे कमिशन दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे, उनसे और सेल्फ-फाइनांस्ड कॉलेजों से हम इसे जल्द इंप्लीमेंट करने को कह रहे हैं।
-प्रो. रवि इंदर सिंह, (डीसीडीसी, पीयू)

टाइमलाइन: बैठकों का दौर और अधूरी कार्रवाई

25 नवंबर 2025: एयूसीटी ने पत्र (170/2025) देकर नियमों के उल्लंघन और अपात्र प्रिंसिपलों का मुद्दा उठाया।

02 दिसंबर 2025: वीसी डॉ. रेनू विग के साथ एयूसीटी प्रतिनिधिमंडल (प्रो. तरुण घई व प्रो. जसपाल सिंह) की मीटिंग। वीसी ने आश्वासन दिया कि 31 जनवरी 2026 तक रिकॉर्ड मंगाकर डिफॉल्टरों की एफिलिएशन रद्द होगी।

10 दिसंबर 2025: पीयू ने ईमेल भेजकर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे और इंस्पेक्शन कमेटियों को जांच के निर्देश दिए।

17 दिसंबर 2025: चंडीगढ़ के कॉलेजों के सेल्फ-फाइनेंस स्टाफ की सैलरी पर विशेष चर्चा हुई।

27 अप्रैल 2026: एयूसीटी ने पत्र (193/2026) लिखकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

05 मई 2026: चांसलर के हस्तक्षेप के बाद पीयू ने यह अधूरी स्टेटस रिपोर्ट जारी की।